

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा

Phone No. 0744- 2330823

E-mail :- dcfmnp.kot.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ () तकनीकी/उवस/मु.रा.उ./2017-18/9761

दिनांक : 21/7/17

निमित्त :-

अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग
परियोजना खण्ड प्रथम, कोटा

विषय :- Diversion of 4.0 ha of forest land for laying of Drinking Water Pipeline under Borabas-Mandana Supply in favour of PHED Project Division, District Kota Rajasthan.

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 189-90 दिनांक 20.07.2017 एवं उप वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक 8 बी/राज0/08/11/2016/एफ.सी./163 दिनांक 19.07.2017

महोदय,

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र सं० ८ बी/राज०/०८/११/२०१६/एफ.सी./१६३ दिनांक १९.०७.२०१७ में उल्लेखित शर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई, है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। अतः पालना कर पालना रिपोर्ट प्रेषित है -

शर्त सं० 1	वनभूमि का वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं० 2	उप वन संरक्षक, कोटा द्वारा प्रस्तुत डिमाण्ड पत्र क्रमांक 9333 दिनांक 21.07.2017 के अनुसार राशि 9,68,228/- जमा कराई जाये।	= Rs.9,68,228/-
शर्त सं० 3 (क)	उप वन संरक्षक, कोटा द्वारा प्रस्तुत डिमाण्ड पत्र क्रमांक 9333 दिनांक 21.07.2017 के अनुसार राशि 19,65,640/- जमा कराई जाये।	= Rs.19,65,640/-
	i. मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में आने वाली वन भूमि 0.865 हैक्टेयर की एन.पी.वी. राशि निर्धारित दर 6.26 लाख प्रति हैक्टेयर की 5 गुना दर से जमा कराई जाने वाली राशि $0.865 \text{ हैक्टेयर} \times 6.26 \text{ लाख प्रति हैक्टेयर} \times 5 = 27.0745 \text{ लाख रुपये}$ ii. मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में आने वाली गैर वन भूमि 0.765 हैक्टेयर की एन.पी.वी. राशि निर्धारित दर 6.26 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से जमा कराई जाने वाली $\text{राशि } 0.765 \text{ हैक्टेयर} \times 6.26 \text{ लाख प्रति हैक्टेयर} = 4.7889 \text{ लाख रुपये}$ कुल जमा कराई जाने वाली राशि = 27.0745 + 4.7889 = 31.8634 लाख रुपये	= Rs.31,86,340/-
(ख)	इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त हर विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	पालना की जावे।
(ग)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे यदि एन.पी.वी.की.दर में	वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।

	बढ़ोत्तरी होती है। तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवाई जावेगी।	
शर्त सं0 4	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट उच्चे आर.सी.सी. पिल्लरों का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पिल्लर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशक Backword and Forward Bearing एवं निकटवर्ती सीमा स्तम्भों से दूरी दर्शायी जाएगी।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं0 5	पाइप हेतु खोदी गयी नाली में पाइप डालने के उपरांत पुनः ठीक से मिट्टी भरान किया जायेगा।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं0 6	पाइप लाईन के संरेखण (allignment) में बिना अनुमति कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं0 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, खुदाई सुरक्षित रूप से की जाएगी।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं0 8	योजना के कार्यान्वयन में वन प्राणियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा तथा NBWL की Standing committee द्वारा परियोजना की स्वीकृति के लिए अधिरोपित शर्तों - i. The user agency shall provide water for wildlife at their own cost at 5 points as identified by DCF (WL) Mukandra Tiger Reserve. ii. The user agency will provide 2 % of the project cost of the stretch falling inside the Tiger Reserve area for conservation and development of wildlife habitat. The funds will be placed at the disposal of the authority prescribed by the Chief Wild Life Warden. iii. No cutting of trees will be allowed. iv. No night campig should be allowed by labour force during laying of pipeline within sanctuary area. v. Work will be done during day time only vi. Appropriate protection measures for trees will be provided at user agency's cost. vii. No disturbance to wildlife and its habitat would be caused. viii. The project personnel engaged in the project shall observe the provision of wildlife (Protection) Act, 1972 & Rules made there under. की अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं0 9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं0 10	वनभूमि अपयोजन की अंतिम स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्गत होने के पश्चात ही राज्य सरकार द्वारा वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में विमुक्त की जाएगी।	पालना की जावे।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों क्षतिपूर्ति पौधा रोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या 037100101025225 आई.एफ.

एस. कोड CORP0000371 कॉपोरेशन बैंक लोधी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में शर्त संख्या 3 (क) (i, ii) कुल राशि रुपये 31,86,340/- (अक्षरे इकतीस लाख छियासी हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र) /आर.टी.जी.एफ./एन. एफ.टी. (जो भी लागू से) की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धन राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जमा धन राशि का विवरण दिया गया हो। प्रेषित की जाए। जिससे प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में संकलित कर अंतिम स्वीकृति हेतु अग्रेषित की जा सके।

याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक इस कार्यालय द्वारा नहीं की जावेगी। जब तक वनभूमि का हस्तान्तरण के विधिवत अंतिम आदेश भारत सरकार तथा अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राज० जयपुर एवं इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र द्वारा नहीं किया जाता है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जावेगी।

(एस० आर० यादव)

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)

मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा

क्रमांक : एफ. () तकनीकी/उवस/मु.रा.उ./2017-18/2762-दिनांक : 21/7/17

प्रतिलिपी :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा नोडल अधिकारी, राज० जयपुर।
02. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
03. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा।
04. जिला कलक्टर, कोटा।
05. अधीक्षण. अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, वृत्त कोटा(राज.)।
06. उप वन संरक्षक, कोटा।
07. सहायक वन संरक्षक-I/II/दरा मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा
08. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बोराबास/रांवठा/दरा।
09. लेखा/विकास शाखा, कार्यालय हाजा।

(एस० आर० यादव)

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)

मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा

-: कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा। :-

(Nayapura, Civil Lines Kota Tel / Fax No. 0744-2322747 Email ID-def.kota.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ()तक0/ चवसं/कोटा/2017-18/ 9333

दिनांक : 21-7-17

निमित्त :-

अधिकांशी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग,
परियोजना खण्ड प्रथम,
कोटा राजस्थान।

विषय:-Diversion of 4.0 ha. of forest land for laying of Drinking Water pipeline under Borabas-Mandana supply in favour of PHED project Division, District-Kota,Rajasthan.

संदर्भ:-उप वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्रांक सं० 8 बी./राज./08/11/2016/FC/163 दिनांक 19.07.2017,प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर के पृष्ठांकित पत्रांक 2304 दिनांक 19.07.2017

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्रांक सं० 8 बी./राज./08/11/2016/FC/163 दिनांक 19.07.2017 में उल्लेखित शर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। अतः पालना कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

शर्त सं० 1	वनभूमि का वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करें।
शर्त सं० 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समुल्लेख गैर वनभूमि अर्थात् 4.00 हे० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि(प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) Ared proposed forca (NFL) 4 Hec. cost CA as per Modal @ Rs. 1,55,000/- = 6,20,000 Perimeter of the area =1260 meter Additional amount required for fencing 1260-240 meter (as per modal)1020 rmt@ Rs.341.40/rmt =3,48,228 = Rs.9,68,228/- (अक्षरे नौ लाख अठसठ हजार दो सौ अट्ठाईस मात्र) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	= Rs.9,68,228/-

शर्त सं० 3 (क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट विटेशन (सिविल) 2002/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी.दिनांक 05.02.2008 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की निर्धारित राशि @ 6.26 lack/Hec. जमा की जायेगी। 3.14 Hec. x 6.26 Lack = Rs.19,65,640/-	= Rs.19,65,640/-
(ख)	इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का गंदवार विवरण अर्थात क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त हर विविध स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	पालना की जाये।
(ग)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का गान बद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगा यदि एन.पी.वी.की.दर में बढ़ोतरी होती है। तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवाई जायेगी।	बचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं० 4	विविध स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के खय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट उच्चे आर.सी.सी. पिल्लरों का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पिल्लर पर क्रमांक डी. जी.पी.एस. निर्देशक Backward and Forward Bearing एवं निकटवर्ती सीमा स्तम्भों से दूरी दर्शायी जाएगी।	बचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं० 5	पाइप हेतु खोदी गयी नाली में पाइप डालने के उपरान्त पुनः ठीक से मिट्टी भरान किया जायेगा।	बचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं० 6	पाइप लाइन के संरेखण (alignment) में बिना अनुमति कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।	बचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं० 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में किसी भी वृक्ष का घातन नहीं किया जाएगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, खुदाई सुरक्षित रूप से की जाएगी।	बचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं० 8	योजना के कार्यान्वयन में वन प्राणियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा तथा NBWL की Standing committee द्वारा परियोजना की स्वीकृति के लिए अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।	बचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं० 9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	बचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत करे।
शर्त सं० 10	वनभूमि अपयोजन की अंतिम स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्गत होने के पश्चात ही राज्य सरकार द्वारा वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में विमुक्त की जाएगी।	पालना की जाये।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियों क्षतिपूर्ति पीछा रोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निवास के लेखा संख्या 037100101025225

आई.एफ.एस. कोड CORP000037। कॉर्पोरेशन बैंक लोधी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में शर्त संख्या 2, 3 कुल राशि रुपये 29,33,068/- (अक्षरे चत्तुर्विंशति लाख त्रैतीस हजार आठ सौ अड़सठ मात्र) /आर.टी.जी.एफ./एन.एफ.टी. (जो भी लागू से) की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसने जमा की गयी धन राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जमा धन राशि का विवरण दिया गया हो। प्रेषित की जाए। जिससे प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में संकलित कर अंतिम स्वीकृति हेतु अग्रप्रेषित की जा सके।

याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक इस कार्यालय द्वारा नहीं की जायेगी। जब तक वनभूमि का हस्तान्तरण के विधिवत अंतिम आदेश भारत सरकार तथा अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राज० जयपुर एवं इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र द्वारा नहीं किया जाता है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय



(एल.एस.राणावत)
उप वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक एफ()तक०/ उपस/कोटा/2017-18/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक :

01. अतिप्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा नोडल अधिकारी, राज० जयपुर।
02. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
03. जिला कलक्टर, कोटा।
04. अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, वृत्त कोटा(राज.)।
05. उप वन संरक्षक, मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा।
06. सहायक वन संरक्षक, कोटा।
07. क्षेत्रीय वन अधिकारी लाड़पुरा/मण्डाना।
08. लेखा/विकास शाखा कार्यालय हाजा।

(एल.एस.राणावत)
उप वन संरक्षक
कोटा